भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 411
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कार्य दिवस

411. श्री राम शिरोमणि वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में सृजित कार्य - दिवसों की संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे लाभान्वित श्रमिकों की संख्या क्या है;

(ग) उक्त जिलों में 100 दिनों के लिए पूर्ण रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त जिलों से समय पर बकाया राशि का भुगतान न होने की शिकायतें मिली हैं, यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार गारंटी को बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में सृजित श्रम-दिवसों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	सृजित श्रम दिवस (लाख में)		
	2022-23	2023-24	2024-25
श्रावस्ती	24.32	30.82	31.62
बलरामपुर	44.68	59.28	49.88

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

(ख) वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिक (संख्या में)		
	2022-23	2023-24	2024-25
श्रावस्ती	65666	63839	63989
बलरामपुर	103214	125028	99319

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

(ग) वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों (संख्या में)		
	2022-23	2023-24	2024-25
श्रावस्ती	3027	3893	5522
बलरामपुर	6766	15695	8742

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

(घ) इस मंत्रालय को उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ड.) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) , 2005, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रमिक कार्य करने के इच्छुक है को कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने का एक अधिनियम है।

मंत्रालय वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार को अतिरिक्त 50 दिनों का मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों से अधिक) प्रदान करने का प्रावधान करने का अधिदेश देता है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) , 2006 के तहत प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

इसके अतिरिक्त, सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों तक का अतिरिक्त श्रम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त , अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने स्वयं के कोष से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से परे अतिरिक्त दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान कर सकती हैं।